(117)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक रिव्यु 743-एक/08 विरूद्ध आदेश दिनांक 26-10-2007 पारित द्वारा अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर प्रकरण क्रमांक अपील 147-एक/07 (प्रकरण क्रमांक अपील 1471-एक/06) विरूद्ध आदेश दिनांक 1-5-2000 पारित द्वारा सहायक बन्दोबस्त अधिकारी, इंदौर प्रकरण क्रमांक आब/ठेका/2000/1448, 1449 एवं 1650 अपील .

मध्य प्रदेश शासन
द्वारा सहायक आयुक्त आबकारी
जिला इन्दौर ....आवेदक

विरूद्ध

1. शरद जैन पुत्र सुभाष जैन
   निवासी 3/4, इब्राहिमपुरा भोपाल
   पार्टनर मेसर्स सांची ट्रेडर्स
   देशी एवं विदेशी मदिरा ठेकेदार
   छावनी पलासिया समूह इन्दौर
2. केशव सिंह पुत्र लालसिंह
   निवासी बाबरिया कलां भोपाल
   पार्टनर मेसर्स सांची ट्रेडर्स
   देशी एवं विदेशी मदिरा ठेकेदार
   छावनी पलासिया समूह इन्दौर
   देशी एवं विदेशी मदिरा ठेकेदार
   छावनी पलासिया समूह इन्दौर ....अनावेदकगण

श्री अजय चतुर्वेदी, अभिभाषक, आवेदक
श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 20/6/18 को पारित)

आवेदक शासन द्वारा यह पुनर्विलोकन म.प्र. आबकारी अधिनियम, 1915 (जिसे संक्षेप में अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 62 (2) के अंतर्गत अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर द्वारा पारित दिनांक 26-10-2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनावेदकगण द्वारा वर्ष 1998-99 के लिए इन्दौर जिले की देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों के छावनी-पलासिया समूह का ठेका रूपये 11.64 करोड़ वार्षिक नीलाम राशि में लिया जाकर उक्त समूह की दुकानों की वार्षिक नीलाम की राशि 31 मार्च, 1999 के पूर्व जमा कराई गई । तदोपरान्त महालेखाकार मध्य प्रदेश के ऑडिट आपत्ति के आधार पर अनावेदकगण के विरूद्ध रूपये 92,20,265.10/- की वसूली हेतु सहायक आयुक्त आबकारी, जिला इन्दौर द्वारा मांग पत्र जारी किये जाने पर अनावेदकगण द्वारा राजस्व मण्डल के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई । इस न्यायालय द्वारा अपील प्रकरण क्रमांक 147-एक/07 में दिनांक 26-10-2007 को आदेश पारित कर सहायक आयुक्त आबकारी द्वारा जारी मांग पत्र क्रमांक आब./ठेका/2000/1448 एवं आब./ठेका/2000/1449 दिनांक 1-5-2000 तथा आब./ठेका/2000/365 दिनांक 17-7-2006 निरस्त किये गये । राजस्व मण्डल द्वारा पारित इसी आदेश के विरूद्ध यह पुनर्विलोकन इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदकगण द्वारा 18 प्रतिशत अग्रिम धन राशि रूपये 20952000/- जमा की गई थी, जिसके विरूद्ध माह फरवरी एवं मार्च 99 में उक्त राशि के अनुरूप विदेशी मदिरा का प्रदाय बिना ड्यूटी चुकाये किया जा सकता था । मेसर्स सांची ट्रेडर्स द्वारा उक्त अवधि में बिना ड्यूटी चुकाये लिये गये विदेशी मदिरा (1) स्प्रिट 320450.25 प्रुफ लीटर (2) माल्ट 400800.0 बोतल एवं 22200 ड्यूटी (267737 प्रु.ली.) का प्रदाय किया गया, जो 10 माह की औसत के दो गुने से स्प्रिट 208434 प्रु.ली. तथा माल्ट 49292.1 ब.ली. अधिक होती है एवं उक्त मदिरा के प्रदाय की ड्यूटी जमा अग्रिम धन से 9220265/- रूपये अधिक होती है, जिसकी वसूली हेतु मेसर्स सांची ट्रेडर्स को सूचना पत्र जारी किये गये थे । यह भी कहा गया कि अनावेदकगण के विरूद्ध उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता, इन्दौर द्वारा जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसका प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 28-8-2006 में यह उल्लेखित किया गया है कि वर्ष 1998-99 में महालेखाकार मध्य प्रदेश के ऑडिट आपत्ति एवं उपायुक्त आबकारी द्वारा प्रेषित किये गये प्रतिवेदन, जिसमें वर्ष 1998-99 में मेसर्स सांची ट्रेडर्स द्वारा रूपये 11.64 करोड़ की 18

प्रतिशत की अग्रिम जमा राशि के विरूद्ध माह फरवरी 1999 में प्रदाय की गई मदिरा को अनियमित प्रदाय बताकर अधिनियम की धारा 9 एवं 15 का उल्लंघन दर्शाया गया है । सहायक आयुक्त आबकारी द्वारा शासन को हुई हानि की पूर्ति हेतु मांग पत्र जारी किया गया है, जो कि न्यायिक दृष्टि से उचित है, किन्तु इस न्यायालय द्वारा सहायक आयुक्त आबकारी द्वारा जारी मांग पत्र निरस्त करने में अभिलेख के विपरीत आदेश पारित किया गया है, जो पुनर्विलोकन का आधार है । तर्क में यह भी कहा गया कि न्याय का प्रमुख सिद्धान्त यह है कि किसी पक्षकार को सुने बिना एवं बचाव का समुचित अवसर दिये बिना उसके विरूद्ध कोई भी आदेश पारित नहीं किया जा सकता है, किन्तु इस न्यायालय द्वारा आवेदक शासन को बिना सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिये आदेश पारित किया गया है, जो कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है । इस आधार पर कहा गया कि राजस्व मण्डल द्वारा पारित आदेश अवैध, अनुचित एवं विधि के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि उनके द्वारा नीलाम की सम्पूर्ण राशि जमा करा दी गई थी, किन्तु सहायक आयुक्त आबकारी द्वारा ऑडिट आपत्ति के आधार पर उनके विरूद्ध मांग पत्र जारी करने में अवैधानिकता की गई थी । यह भी कहा गया कि शासन को किस प्रकार हानि हुई, यह प्रमाणित नहीं किया गया है । तर्क में यह भी कहा गया कि इस न्यायालय द्वारा स्पष्ट निष्कर्ष निकालते हुए विधिवत आदेश पारित किया गया है, जो स्थिर रखने योग्य है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि पुनर्विलोकन हेतु उल्लेखित 3 आधारों में से कोई भी आधार प्रकरण में उपलब्ध नहीं है । उनके द्वारा इस न्यायालय का आदेश यथावत रखते हुए पुनर्विलोकन निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । राजस्व मण्डल के आदेश दिनांक 26-10-2007 के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्व मण्डल द्वारा आदेश पारित करने में यह तथ्य को नजरअंदाज हुआ है कि बैंक गारण्टी के वसूल की गई राशि के समायोजन के उपरान्त ही अनावेदक पक्ष पर रूपये 92,20,265.10/- की वसूली निकाली गई है । अभिलेख में इसकी गणना उपलब्ध है, जिस पर कोई विचार नहीं कर आदेश पारित करने में राजस्व मण्डल द्वारा अवैधानिकता की गई है, इसलिए राजस्व मण्डल का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । अतः यह पुनर्विलोकन स्वीकार किया जाकर राजस्व मण्डल का आदेश दिनांक 26-10-2007 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण क्रमांक अपील 147-एक/07 को पुनः नम्बर पर लेकर अपील के गुण-दोषों पर भी

उभय पक्ष को सुना गया । जहां तक प्रकरण के गुण-दोष का प्रश्न है, अनावेदक पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा बार-बार यह आधार लिया जा रहा है कि उसके विरूद्ध कोई भी बकाया राशि शेष नहीं है, क्योंकि बकाया राशि के विरूद्ध बैंक गारण्टी शासन द्वारा वसूल की जा चुकी है । अनावेदक पक्ष का उक्त तर्क तथ्यात्मक रूप से पूरी तरह गलत है तथा गलत बयानी है । अनावेदक पक्ष द्वारा अपने पक्ष समर्थन में न तो कोई गणना प्रस्तुत की गई है और न ही राशि जमा करने के सम्बन्ध में कोई प्रमाण प्रस्तुत किया है । अत: अनावेदक पक्ष के विरूद्ध जारी मांग पत्र पूरी तरह उचित होने से अपील निरस्त किये जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनावेदक पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रकरण क्रमांक अपील 147-एक/07 आधारहीन होने से निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर